आदेश व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 244 / 2022 (धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन)

एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड, सी–25, भगवानदास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी–स्कीम जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री दिपेश कृपलानी पुत्र श्री भगवान दास,
2. श्रीमती मीना कृपलानी पत्नी श्री भगवान दास,
3. श्री मनोज कृपलानी पुत्र श्री भगवान दास,

पता :–

1. फ्लेट नम्बर एस–1, द्वितीय तल, मनोरमा रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 6ए, बुध विहार, रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर।
2. मैसर्स दि फेरा बुक फैशन, प्लॉट नं. 12, टेलीफोन कॉलोनी, नियर आदर्श बस्ती, टोंक फाटक, जयपुर।
3. 7 / 314, मालवीय नगर, जयपुर।
4. प्लॉट नं. 95, सावित्री विहार, इस्कॉन टेम्पल रोड, प्रभात स्कूल वाली गली, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 09.06.2022

1 संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मीना कृपलानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एस–1, द्वितीय तल, मनोरमा रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 6–ए, बुध विहार, ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 650 वर्गफीट बिल्टअप एरिया को बन्धक रख कर दिनांक 06.04.2016 एवं दिनांक 07.04.2016 को क्रमशः राशि 18,00,000/– रूपये एवं राशि 51,142/– रूपये कुल राशि 18,51,142/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इम्दाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 18,51,142/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 22,07,415/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानो के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष मे बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मीना कृपलानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एस–1, द्वितीय तल, मनोरमा रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 6–ए, बुध विहार, ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 650 वर्गफीट बिल्टअप एरिया का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर